क्रमांक 12/48/90-2 जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, सभी मण्डलों के आयुक्त,
सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक चण्डीगढ़ 27-8-1990

विषय : दण्ड एवं अपील नियमावली के अधीन दोषी कर्मचारियों को उपयुक्त सजा प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि कई केसों में जिनमें कर्मचारियों के विरूद्ध दण्ड एवं अपील नियमावली (Punishment and Appeal Rules) के अधीन जांच चल रही होती है और उनके सेवा निवृत होने में एक वर्ष से भी कम समय होता है या पदोन्नति होने में कुछ ही दिन होते हैं तथा उक्त तथ्यों की विभाग को जानकारी होते हुए भी ऐसे केसों में दोषी कर्मचारी को वेतन-वृद्धियां रोकने की सजा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से अगली वेतन वृद्धि देय होने से पहले ही कर्मचारी सेवा-निवृत/पदोन्नत हो जाता है जिससे उसे सजा वास्तव में नहीं मिल पाती तथा सजा देने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है।

2. सरकार ने इस मामले पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सजा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दोषी कर्मचारी को ऐसी सजा प्रदान की जाये जो कर्मचारी की सेवा-निवृति/पदोन्नति इत्यादि से प्रभावहीन न हो ।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतें दृढ़ता से पालने के लिए अपने अधीन कार्य कर रहे सक्षम प्राधिकारियों के नोटिस में ला दिया जाये ।

भवदीय,
हस्ता/--
अधीक्षक सामान्य सेवायें शाखा-I,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 12/48/90-2 जी0 एस0-I दिनांक 27-8-1990

एक प्रति हरियाणा के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार को इस विभाग के अशा क्रमांक 39/5/78-जी0 एस0-I, दिनांक 6-4-1978 के क्रम में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

हस्ता/--
अधीक्षक सामान्य सेवायें शाखा-I,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा क्रमांक 12/48/90-2 जी0 एस0-I दिनांक 27-8-1990